न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट), आजमगढ़।

उपस्थितः विजय कुमार वर्मा–I (H.J.S.) JO CODE–UP6503

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-2506/2026

UPAZ010057632026

सक्षम सिंह उम्र लग० 20 वर्ष पुत्र अशोक विक्रम सिंह, साकिन दलवा, थाना शाहगंज, जनपद जौनपुर। – ––आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ० प्र० सरकार ––– विपक्षी।

एवं

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-2507/2026

UPAZ010057642026

ओम सिंह उम्र लग० 18 वर्ष पुत्र रविन्द्र सिंह, साकिन अगूपुर, थाना शाहगंज, जनपद जौनपुर।

––––आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ० प्र० सरकार ––– विपक्षी।

मु०अ० सं०–142/2026

अंतर्गत धारा–109(1), 352 बी.एन.एस. एवं धारा 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5 एस०सी०/एस०टी एक्ट।

थाना–पवई, जनपद– आजमगढ़।

दिनांक–06.07.2026

1. उपरोक्त दोनों जमानत प्रार्थना पत्र एक ही मुकदमा अपराध संख्या–142/2026 से सम्बन्धित हैं। अतः सुविधा की दृष्टि से इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

2. उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण सक्षम सिंह व ओम सिंह की ओर से मय शपथ पत्र उपरोक्त प्रकरण में जरिए विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत होकर सुनवाई हेतु आज नियत है। आवेदकगण/अभियुक्तगण जिला कारागार में निरुद्ध है।

3. आवेदकगण/अभियुक्तगण उपरोक्त की तरफ से जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में सुप्रिया सिंह व रविन्द्र सिंह का शपथ पत्र दाखिल कर सशपथ कथन किया गया है कि प्रार्थना

Digitally signed by VIJAY KUMAR VERMA
Date: 2026.07.06 16:32:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पत्र में दिये गये तथ्य उसकी जानकारी में सत्य हैं।

4. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थिनी सुशीला देवी पत्नी राधेश्याम द्वारा थाना स्थानीय पर इस आशय की तहरीर दी गयी कि "कल दिनांक 7 जून 2026 को रात करीब 8 बजे मेरा लड़का शनी उम्र करीब 30 वर्ष मोबाईल नं0 8115523707 घर से गाँव मे घूमने गया था करीब 8:30 बजे मेरा बडा लड़का शैलेश अपने मोबाईल नं. 8169010565 से शनी से बात किया तो बताया कि आधा घन्टे मे घर आ जाउगा, परन्तु रात में घर नहीं आया। सुबह करीब 6 बजे मेरा लड़का शनी गाँव के बाहर ट्यूबेल के पास खड़जा रोड के बगल मे मात्र अन्डर वियर पर अचेत अवस्था मे मिला उसके चेहरे पर गले पर और सर पर धूस की चोट थी जिसे हम लोग इलाज हेतु अस्पताल ले गये इलाज चल रहा है अज्ञात लोगो द्वारा मेरे लड़के को जान से मारने की नियत से मारा पीटा गया है। अतः महोदय से निवेदन है कि उचित कार्यवाही करने की कृपा करे।"

5. जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए आवेदक/अभियुक्त सक्षम सिंह की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी को मुक़दमा उपरोक्त में फर्जी सहादत सबूत के आधार पर प्रार्थी को मुकदमा उपरोक्त में फर्जी व झूठा अभियुक्त बना दिया है। प्रार्थी मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त नहीं है। प्रार्थी को स्थानीय पुलिस थाना पवई की प्रार्थी को उनके घार से पकड़कर ले गयी और उपरोक्त मुकदमा में झूठा व फर्जी अभियुक्त बना दी है। प्रार्थी मुकदमा उपरोक्त के वादिनी व चोटहिल को जानता नहीं है। प्रार्थी तथाकथित घाटना के समय अपने जौनपुर स्थित घर पर थे। उक्त तथाकथित घटना से प्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है। स्थानीय पुलिस जबरदत्ती घर से उठाकर लेजाकर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त बना दी है। मुकदमा उपरोक्त के तथाकथित घाटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। मुकदमा उपरोक्त में जुर्म दफा–109(1) बी.एन.एस. के श्रेणी का कोई गेट नहीं है। सभी चोट साधारण प्रवृत्ति का है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहात नहीं है। प्रार्थी दिनांक 15.6.26 से जिला कारागार आजमगढ़ में निरूद्ध है। प्रार्थी का यह प्रथाम जमानत प्रार्थना पत्र है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

6. आवेदक/अभियुक्त ओम सिंह की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी को मुक़दमा उपरोक्त में फर्जी सहादत सबूत के आधार पर प्रार्थी को मुकदमा उपरोक्त में फर्जी व झूठा अभियुक्त बना दिया है। प्रार्थी मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त नहीं है। प्रार्थी को स्थानीय पुलिस थाना पवई की प्रार्थी को उनके घार से पकड़कर ले गयी और उपरोक्त मुकदमा में झूठा व फर्जी अभियुक्त बना दी है। प्रार्थी मुकदमा उपरोक्त के वादिनी व चोटहिल को जानता नहीं है। प्रार्थी तथाकथित घाटना के समय अपने जौनपुर स्थित घर पर थे। उक्त तथाकथित घटना से प्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है। स्थानीय पुलिस जबरदत्ती घर से उठाकर लेजाकर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त बना दी है। मुकदमा

उपरोक्त के तथाकथित घाटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। मुकदमा उपरोक्त में जुर्म दफा–109(1) बी.एन.एस. के श्रेणी का कोई गेट नहीं है। सभी चोट साधारण प्रवृत्ति का है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहात नहीं है। प्रार्थी दिनांक 15.6.2026 से जिला कारागार आजमगढ़ में निरूद्ध है। प्रार्थी का यह प्रथाम जमानत प्रार्थना पत्र है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

7. जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए न्यायालय में उपस्थित सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकगण/ अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये।

8. जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से उपस्थित विशेष लोक अभियोजक द्वारा उठाये गये तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

9. पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि सर्वप्रथम प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज की गयी। दौरान विवेचना अभियुक्तगण का नाम प्रकाश में आया है, जिसमें चश्मदीद साक्षी सुबाष के द्वारा कथन किया गया है कि दिनांक 08.06.2026 को एक बारात आयी थी। वह ट्यूबेल से कुछ दूरी पर खड़ा था कि उसका भांजा शनि कुछ ड्रिंक कर लिया था, मोबाइल लेकर बात करते हुए ट्यूबेल के पास गया कि खैरूद्दीनपुर की तरफ से तीन व्यक्ति एक मो०सा० UP62DF9886 पर बैठकर छबवा जा रहे थे कि बीच रास्ते में ट्यूबेल के पास रोककर उसकी भांजे शनी को मारे–पीटे, गाली–गलौज व जान से मारने की नियत से मारे व उसका कपड़ा उतार लिये और वहीं पर मृत समझकर मो०सा० पर सवार होकर भाग गये और कपड़ा भी ले गये। इसी सूचना आसपास के कुछ लोग भी देखे, परन्तु बताने से इंकार कर रहे है। नाम पता पूछा गया तो एक का नाम सक्षम सिंह व दूसरे का नाम हर्ष सिंह व तीसरे का नाम ओम सिंह बताये। इसी प्रकार का कथन संतोष के द्वारा किया गया है।

10. दौरान विवेचना अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। उनके द्वारा यह स्वीकार किया गया कि दिनांक 08.06.2026 को रात में वह छबवा जा रहे थे कि खैरूद्दीनपुर होते हुए जैसे ही चौकिया ट्यूबेल के पास पहुंचे कि एक व्यक्ति नशे की हालत में मेन खडंजा पर ही बीचो–बीच रास्ते पर खड़ा था हार्न देने के बाद भी नहीं हटा कि वे लोग साइड से निकले। जैसे ही वे आगे गये कि वह व्यक्ति गाली देने लगा। पुनः गाड़ी रोककर जैसे ही उसके पास पूछने के लिए आये त्यो ही थप्पड़ मार दिया, वब तीनों लोग उसका गिराकर लातमुक्का, चप्पल, जूता से बहुत मारे पीटे, रोड पर गिरा–गिरा कर मारे, मारते–मारते बेहोश हो गया। काफी कोशिश के बाद नहीं उठा तो उसको मरा समझकर उसका पैंट, जूता उतारकर चड्डी निकालकर वहीं छोड़ दिये।

11. दौरान बहस अभियोजन की तरफ से मजरूब को आई चोटों के संबंध में चिकित्सीय

प्रपत्र उपलब्ध कराये गये हैं, जिनमें मजरूब को सिर की चोट के साथ–साथ पूरे शरीर पर चोट आना अंकित है। डा० उत्तम कुमार गुप्ता, मंगल क्लीनिक न्यूरो साईकियाट्रिक सेन्टर वाजिदपुर, जौनपुर द्वारा कथन किया गया है कि दिनांक 08.06.2026 को मजरूब शनि को उसके परिवार वालों द्वारा बेहोश अवस्था में लाया गया था, मजरूब के शरीर पर अन्दरूनी चोट थी। चोट को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दो–तीन व्यक्तियों द्वारा लातमुक्का से जानलेवा हला किया गया था। 48 घण्टे बीत जाने के बाद भी मजरूब शनि को होश नहीं आया तो दिनांक 10.06.2026 को मजरूब शनि का बेहतर ईलाज व उपचार हेतु AIIMS टाण्डा जनपद अम्बेडकर नकर रेफर किया गया था। यदि समय से मजरूब का इलाज नहीं हुआ तो निश्चित ही उसकी मृत्यु हो जाती, क्योकि उसके शरीर पर अन्दरूनी गम्भीर चोट लगी है। अभी तक उसे होश नहीं आया है। उसकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है। इस प्रकार मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों, अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध की प्रकृति तथा अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृति आधार पर्याप्त नहीं है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण सक्षम सिंह व ओम सिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाते हैं।

आदेश की एक प्रति जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2507/2026 की पत्रावली में रखी जाये।

दिनांक–06.07.2026

(विजय कुमार वर्मा–I)
J.O. Code-UP-6503
विशेष न्यायाधीश
(एस०सी०/एस०टी० एक्ट)
आजमगढ़।